

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्र०.....~~48~~...../दो-12-11/2014

बैतूल, दिनांक 05/04/2020

देश-विदेश में फैले कोरोना महामारी (कोविड-19) की मयावतहा से हम सभी परिचित हो चुके हैं, जिसने पूरे विश्व में लाखों लोगों के लिये गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस हमारे देश के लिये गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक समस्या पैदा कर रहा है।

ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र दिनांक 04.04.2020 के अनुक्रम में मानवता के लिये उदारता पूर्वक दान देकर उसमें सहयोग करना हमारा कर्तव्य है और हम इस हेतु Prime Minister Citizen's Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PMCARES) में निम्नानुसार योगदान देकर सहायता कर सकते हैं :-

1. जिला जज एवं अपर जिला न्यायाधीश - रूपये 15000/- प्रत्येक
2. सी.जे.एम. एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश - रूपये 10,000/- प्रत्येक
3. समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी - रूपये 5,000/- प्रत्येक

यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि योगदान स्वैच्छिक है, जो अधिकारी/कर्मचारी योगदान नहीं करना चाहते हैं, वह दिनांक 08.04.2020 के सुबह 11:00 बजे तक श्री निर्मल कुमार तेजराज, न्यायालय उपाधीक्षक, जिला न्यायालय बैतूल के मोबाईल नं. 9753973353 पर कॉल, सामान्य मैसेज या वॉट्सएप मैसेज के माध्यम से अवगत करावे, अन्यथा यह माना जावेगा कि योगदान में उनकी सहमति है। असहमतिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के नाम पद एवं इम्पलाई कोड की जानकारी उक्त परिपत्र के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर प्रेषित की जानी है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि योगदान की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट प्रदान की गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बैतूल (म०प्र०)

बैतूल, दिनांक 05/04/2020

पृष्ठा.क्र०.....~~757~~...../दो-12-11/2014

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बैतूल/मुलताई/मैसदेही/आनला की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त अधिकारी/कर्मचारी को अवगत करावें।
2. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल की ओर उक्त परिपत्र की प्रति समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को ई-मेल आई.डी./वॉट्सएप पर प्रेषित किये जाने एवं जिला न्यायालय के वेब साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बैतूल (म०प्र०) 05.04.2020